



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

कार्यालय ज्ञाप

पत्रांक : 1332/10 अधीन प्रशासन/13

दिनांक : 25/9/13

उत्तराखण्ड हेतु गठित किए गए केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स में MORTH के SOR में पुलों के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित मदों हेतु वर्तमान में 20% overhead charges लिए गए हैं, जबकि MORTH के standard data book में पुलों के निर्माण कार्यों हेतु निम्न प्रकार overheads लिए गए हैं:-

- | | | |
|---|---|-----|
| 1- Major Bridges including State of Art Bridges and Minor Bridges | - | 25% |
| 2- Minor Bridges included in road packages | - | 20% |
| 3- Rehabilitation of bridges | - | 30% |

अतः MORTH के Standard data book के आधार पर भविष्य में उत्तराखण्ड के केन्द्रीय SOR, MORTH में भी पुलों के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार ही Overhead charges लिए जाए।

केन्द्रीय SOR, की website में MORTH में पुलों के निर्माण सम्बन्धित मदों (Foundation, Substructure and Superstructure के Chapters में) में overheads पूर्व की भांति 20% ही रहेंगे। परन्तु यदि कार्य उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 3 के अन्तर्गत है, तो आगणन गठित करते समय दर विश्लेषण में 20% के स्थान पर क्रमशः 25% एवं 30% overheads का प्राविधान किया जाए।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता/विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, देहरादून।
7. प्रबंध निदेशक, पेयजल निगम, देहरादून।
8. प्रबंध निदेशक, यू0एस0आई0डी0सी0, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग/पी0एम0जी0एस0वाई0/ए0डी0बी0 लो0नि0वि0, देहरादून।
10. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड। अधीक्षण अभियन्ता अपने स्तर से अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. अधिशासी अभियन्ता टी0ए0सी0 वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर I, II/अधिशासी अभियन्ता I, II, III, IV, V, VI कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
13. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

13/9
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग देहरादून

10/9/13
जास प्रशासन